263

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी 2049-II-15

प्र0क्र. /2015 पुनरीक्षण

श्री मुकेश भार्गव, अभि0 द्वारा आज दि 4-7-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-7-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
4-7-15 एडवोकेट
ग्वालियर

उदय प्रकाश पिता श्री प्रेम कुमार सिंह निवासी सीतापुर कृषक ग्राम बखसपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

---आवेदक

विरूद्ध

अरूण प्रकाश पिता श्री प्रेम कुमार सिंह निवासी सीतापुर कृषक ग्राम बखसपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

--- अनावेदक

न्यायालय नायव तहसीलदार वृत्त फुनगा तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा राजस्व प्र.क. 51/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2015 के विरूद्ध म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है किं :–

संक्षिप्त तथ्य :–

(3) यहकि, अनावेदक अरूण प्रकाश ने ग्राम बखसपुर तहसील व जिला अनूपपुर में स्थित भूमि ख.नं. 69/1 रकवा 1.494 है. भूमि का नक्शा तरमीम किये जाने बावत नायव तहसीलदार वृत्त फुनगा तहसील अनूमपपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से रा.प्र.क. 51/अ-3/14-15 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक फुनगा को तरमीम हेतु निर्देशित किया । राजस्व निरीक्षक वृत्त फुनगा ने दिनांक 23.05.2015 को नक्शा तरमीम कर नायव तहसीलदार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—2049—दो/2015 जिला— अनूपपुर

उदय प्रकाश विरूद्ध अरूण प्रकाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20—02—2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार वृत्त फुनगा, तहसील अनूपपुर, जिला—अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 51/अ—3/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 30—05—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 20/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	